

UPRN180023842022



न्यायालय सिविल जज (जू०डि० ) घाटमपुर, कानपुर देहात ।

छिदू उर्फ छेदा लाल

बनाम

रज्जन लाल आदि ।

वाद सं०-123/2022

दिनांक 13-10-2022

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थना पत्र 6 ग 2 मय शपथपत्र 7 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सूची 9 ग के साथ दाखिल प्रपत्रों का मय पत्रावली सम्यक अवलोकन किया । प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया है ।

प्रथम दृष्टया मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर सुनवायी का सम्यक अवसर दिये हुए एक पक्षीय रूपसे वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का व्यादेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो । आपत्ति आमंत्रित हो ।

वाद वास्ते आपत्ति /निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2 हेतु दिनांक 10-11-2022 को पेश हो ।

वादी उभय भांति पैरवी करे ।

(अनुराग )

सिविल जज (जू०डि०)

घाटमपुर, कानपुर देहात ।

I.D.No.3268